भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3489

जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

वाहनों के लिए सुरक्षा मानक

3489. श्री जैदेव गल्ला:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनाइटेड किंगडम स्थित 'ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' की उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है जिसमें कहा गया है कि भारत की शीर्षस्थ पांच कारें उनकी टक्कर के परीक्षण में विफल सिद्ध हुई हैं जिसके कारण ये कारें असुरक्षित मानी जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में नई कारों में आमने-सामने की बराबर की टक्कर (ऑफसेट फ्रंटल क्रैश) और बगल से टक्कर (साइड इम्पैक्ट) लगने के परीक्षण करने सहित सरकार द्वारा अन्य क्या सुरक्षा मानक बनाए गए हैं जिससे कि वाहनों को सुरक्षित बनाया जा सके?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) द्वारा दी गई प्रस्तुति के अनुसार, भारत में विनिर्मित कुछ कारें आमने-सामने की बराबर की टक्कर (ऑफसेट क्रैश टेस्ट) लगने के परीक्षण में सुरक्षित नहीं पायी गईं थीं।

(ख) और (ग): केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के तहत प्रावधान है कि ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर के अलावा मोटर वाहनों के प्रत्येक विनिर्माता के लिए मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रमाण-पत्र देने के लिए अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप इसमें विनिर्दिष्ट किसी एजेन्सी के पास परीक्षण हेतु भेजना आवश्यक है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126ए के अनुसार परीक्षण एजेन्सियों, जिनका नियम 126 में उल्लेख किया गया है, के लिए विनिर्माता की उत्पादन श्रृंखला से लाए गए वाहनों का यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये वाहन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं, परीक्षण करना आवश्यक है। तथापि, एक समिति का गठन किया गया है जिसके विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं:

i) अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और राष्ट्रीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के लिए परीक्षण आवश्यकता/परीक्षण प्रोटोकॉल तथा रेटिंग प्रणाली।

ii) आकलन के लिए वाहनों के चयन हेतु तंत्र और कार्यप्रणाली।

iii) कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रबोधन के लिए आवश्यक स्थायी प्रशासनिक ढांचा।

iv) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा इसके तंत्र के लिए आवश्यक निधि का आकलन।

v) आवश्यक परीक्षण करने के परीक्षण सुविधाओं की पहचान और प्रमाणन।

vi) निम्नलिखित के लिए समय-सीमा निर्धारित करना :

  क) आईएनसीएपी को प्रारंभ करना; और

  ख) ऑटोमोबाइल उद्योग के साथ नीचे दिए गए विषयों पर परामर्श के बाद आईएनसीएपी का कार्यान्वयन:

    I. स्वैच्छिक आधार

    II. अनिवार्य आधार

*****